बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–...../

संचिका संख्या– 13/न्याय 05–126/2024 ..... श्री रामाशंकर तिवारी, परिचारी/आदेशपाल राजकीयकृत उच्च/उच्चत्तर माध्यमिक प्रोजेक्ट विद्यालय, महदेईया, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी सेवा में समायोजन का लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोपों के लिये विभागीय आदेश ज्ञापांक 1705 दिनांक 06.11.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्त करते हुये सेवाकाल में भुगतान की गई वेतनादि की वसूली का दंड संसूचित किया गया है।

2. श्री रामाशंकर तिवारी के द्वारा सेवा से बर्खास्तगी एवं भुगतानित वेतनादि की वसूली संबंधी निर्गत विभागीय ज्ञापांक 1705 दिनांक 06.11.2020 को निरस्त किये जाने के अनुरोध के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–1990/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.07.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश (Operative Portion) निम्नवत् है:–

"..... 2. There is consensus at the Bar that the matter in issue is squarely covered by the order dated 18.04.2022 passed in C.W.J.C. No.2131 of 2021. 3. Considering the fact aforesaid, the impugned orders passed by the respondent nos.3 and 4 as contained in Memo No.1705 dated 06.11.2020 (Annexure-P-8) and letter no.1984 dated 12.11.2020 (Annexure-P-9) is quashed and this writ petition is allowed. The respondents are directed to extend the the same benefits, which were extended to the writ petitioners of C.W.J.C. No.2131 of 2021. Respondents are directed to take necessary steps in accordance with law."

3. माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक 1705 दिनांक 06.11.2020 द्वारा निर्गत बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुये सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 2131/2021 में पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्त्ता को समान लाभ प्रदान करने का निदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–2131/2021 में दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

The case of Kamlesh Kumar and that of the petitioner is of same footing that no domestic enquiry was conducted and it is based only on the report made available to the Department and they proceeded to passed the impugned order of termination and recovery of salary. This Court has held as under :

"7. *Short question for consideration in the present petition is before order dated 06.11.2020, petitioner is subjected to domestic enquiry or not? Undisputed facts are that petitioner was appointed on ad hoc basis and his services were regularized by virtue of judicial pronouncement cited in Annexure - 10. The petitioner was required to comply conditions imposed in Annexure - 10. It is learnt that he has complied in filing affidavit. Some person has given complaint stating that petitioner has filed false affidavit before authorities in respect of regularization. Based on such complaint, the official respondents have proceeded to cancel the order of regularization/appointment. The impugned actiondated06.11.2020 is without holding of domestic enquiry. It is to be noted that once the order of regularization is passed in favour of the petitioner even though with a certain condition even then petitioner is entitled to participate in the domestic enquiry for the reasons that there were serious allegations levelled against the petitioner that he had filed*

false affidavit in order to get his service regularized. The Apex Court time and again held that even temporary employees are entitled for domestic enquiry if the allegations are made against such temporary employee before terminating his/her service. In view of these facts and circumstances impugned order dated 06.11.2020 stands set aside."

Taking into consideration the aforesaid, the present writ petition is also deserves to be allowed in the aforesaid terms and the order dated 06.11.2020 (Annexure P-6) in the present writ petition is quashed and set aside. The directions as issued by the co-ordinate Bench and noticed above shall mutatis mutandis apply to the petitioner.

The writ petition is disposed of."

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री रामाशंकर तिवारी को सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी विभागीय आदेश संख्या–1705 दिनांक 06.11.2020 को निरस्त करते हुए सेवा में पुर्नबहाल करते हुये परिचारी/आदेशपाल के पद पर राजकीयकृत उच्च/उच्चतर माध्यमिक प्रोजेक्ट विद्यालय, महदेईया, मीनापुर, मुजफ्फरपुर में पुर्ननियुक्त विभागीय आदेश संख्या 1296 दिनांक 21.08.2024 द्वारा किया गया। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री रामाशंकर तिवारी के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के वृहद जाँच हेतु विधिवत आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), सारण को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

5. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 181 दिनांक 29.12.2025 द्वारा श्री रामाशंकर तिवारी के विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों यथा "फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी सेवा में समायोजन का लाभ प्राप्त करने" संबंधी गंभीर आरोपों को प्रमाणित बताया गया है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) में वर्णित प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक 91 दिनांक 22.01.2026 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जबाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग श्री तिवारी से किया। उक्त के आलोक में श्री रामाशंकर तिवारी के द्वारा दिनांक 12.02.2026 को द्वितीय कारण पृच्छा जबाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

7. श्री रामाशंकर तिवारी के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री रामाशंकर तिवारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा जबाब/लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री रामाशंकर तिवारी द्वारा लिखित बचाव बयान/अभिकथन साक्ष्य सहित समर्पित करने के बजाय उनके द्वारा आर0डी0डी0ई0 कार्यालय के द्वारा घूस मांगने तथा योगदान के उपरांत वेतन नहीं दिये जाने के बात कहीं गई है। साथ ही श्री तिवारी के द्वारा बताया गया है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने का आरोप निराधार एवं बिल्कुल असत्य है। श्री तिवारी का कथन है कि अभिलेख संधारित करने और सुरक्षा हेतु डी0पी0ओ0, साक्षरता कार्यालय ही सक्षम प्राधिकार है। परंतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), सारण (छपरा) के पत्रांक 166 दिनांक 14.10.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री तिवारी का कार्यालय पंजी का भुगतान संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साथ ही श्री तिवारी के द्वारा समर्पित भुगतान साक्ष्य में दिनांक 08.04.1990, 27.01.1991 तथा 31.09.1990 को खाते में अंतरण दिखाया गया है, जबकि दिनांक 08.04.1990 एवं 27.01.1991 की तिथि को रविवार पड़ता है तथा

सितम्बर माह में 31 तारीख होती ही नहीं है। इस आधार पर श्री तिवारी का भुगतान साक्ष्य फर्जी है। श्री रामाशंकर तिवारी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके द्वारा लगातार 03 वर्षों तक अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रुप में कार्य किया गया हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के कार्यालय में उपलब्ध भुगतान पंजी एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर श्री रामाशंकर तिवारी के द्वारा अनुदेशक के रुप में लगातार 03 वर्षों तक कार्य करने की पुष्टि नहीं होती है तथा श्री तिवारी के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी सेवा में समायोजन का लाभ प्राप्त करने का गंभीर आरोप प्रमाणित होता है।

8. ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04. 2017 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रमुख शर्त्तों में से एक यह है कि भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन का मूल आधार संबंधित अभ्यर्थी के अनुदेशक के रुप में लगातार 03 वर्ष तक कार्यरत रहने का प्रमाण समर्पित करना है। ऐसे में श्री रामाशंकर तिवारी के समायोजन की अनुशंसा का कोई आधार नहीं रह जाता है।

9. अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री तिवारी को विभागीय पत्रांक 855 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को समायोजन हेतु की गई अनुशंसा को एतद् द्वारा आहरित/रद्द करते हुये आरोपी कर्मी श्री तिवारी को अबतक भुगतान की गई समस्त वेतनादि की वसूली हेतु समुचित कार्रवाई किये जाने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दिया जाता है तथा श्री रामाशंकर तिवारी, राजकीयकृत उच्च/उच्चत्तर माध्यमिक प्रोजेक्ट विद्यालय, महदेईया, मीनापुर, मुजफ्फरपुर (पत्राचार पता– पिता–श्री राजामोहन तिवारी, ग्राम+पो0–बरेजा, फरुही, थाना–मांझी, जिला–सारण) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 (संशोधन नियमावली–2007) के नियम 14 (XI) के प्रावधानों के तहत **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्हरता होगी"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-1990/2021 में दिनांक 18.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

(विनायक मिश्र)
निदेशक, जन शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/न्याय 05–126/2024 226 / पटना, दिनांक 27-02-2026 /

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, सारण/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना/साक्षरता), सारण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना/साक्षरता), मुजफ्फरपुर एवं श्री रामाशंकर तिवारी पिता–श्री राजामोहन तिवारी, ग्राम+पो0–बरेजा, फरुही, थाना–मांझी, जिला–सारण एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, जन शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:/Ranikumari/letter/all Letter 2024 director-And ur new